

## ‘संथारा’ और अहिंसा

हिंसा का मतलब है—प्रमाद वा रागद्वेष या आसक्ति। उसका त्याग ही अहिंसा है। जैन ग्रन्थों में ग्राचीन काल से चली आने वाली आत्मशात की प्रथाओं का निषेध किया है। पहाड़ से गिरकर, पानी में छुबकर, जहर खाकर आदि प्रथाएँ मरने की थीं और हैं—धर्म के नाम पर भी और दुनियाची कारणों से भी। जैसे पशु आदि की बलि धर्म रूप में प्रचलित है वैसे ही आत्मबलि भी प्रचलित रही। और कहीं-कहीं अब भी है; खासकर शिव या शक्ति के सामने। एक तरफ से ऐसी प्रथाओं का निषेध और दूसरी तरफ से प्राणान्त अनशन या संथारे का विधान। यह विरोध जल्लर उलझन में डालने वाला है पर भाव समझने पर कोई भी विरोध नहीं होता। जैन धर्म ने जिस प्राणनाश का निषेध किया है वह प्रमाद वा आसक्ति पूर्वक किये जाने वाले प्राणनाश का ही। किसी ऐहिक या पारलौकिक संपत्ति की इच्छा से, कामिनी की कामना से और अन्य अभ्युदय की वांछ्या से धर्मवृद्धा तरह-तरह के आत्मवध होते रहे हैं। जैन धर्म कहता है वह आत्मवध हिंसा है। क्योंकि उसका प्रेरक तत्त्व कोई न कोई आसक्त भाव है! प्राणान्त अनशन और संथारा भी यदि उसी भाव से या डर से या लोभ से किया जाय तो वह हिंसा ही है। उसे जैन धर्म करने की आशा नहीं देता। जिस प्राणान्त अनशन का विधान है, वह है समाधिमरण। जब देह और आध्यात्मिक सद्गुण-संयम—इनमें से एक ही की पसंदगी करने का विषम समय आ गया तब यदि सचमुच संयमप्राण व्यक्ति हो तो वह देह रक्षा की परवाह नहीं करेगा।

१ जैन शास्त्रों में जिसे संथारा या समाधिमरण कहा गया है, उसके संबन्ध में लिखते हुए हमारे देश के सुप्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् डा० एस० याधाकृष्णन ने अपने ‘इंडियन फिलासोफी’ नामक ग्रन्थ में ‘Suicide’ (जिसका प्रचलित अर्थ ‘आत्मशात’ किया जाता है) शब्द का व्यवहार किया है। सन् १९४३ में जब श्री भौतरमल सिंधी ने जेल में यह पुस्तक पढ़ी तो इस विषय पर वास्तविक शास्त्रीय दृष्टि जनने की उत्सुकता हुई और उन्होंने प्रशाचन्त्रु पं० सुखलालजी को एक पत्र लिखकर अपनी जिज्ञासा प्रकट की; उसके उत्तर में यह पत्र है।

मात्र देह की बलि देकर भी अपनी विशुद्ध आध्यात्मिक स्थिति को बचा लेगा; जैसे कोई सच्ची सती दूसरां रास्ता न देखकर देहनाश के द्वारा भी सतीत्व बचा लेती है। पर उस अवस्था में भी वह व्यक्ति न किसी पर रुष्ट होगा, न किसी तरह भयभीत और न किसी सुविधा पर लुष्ट। उसका ध्यान एकमात्र संयत जीवन को बचा लेने और समझाव की रक्षा में ही रहेगा। जब तक देह और संयम दोनों की समान भाव से रक्षा हो, तबतक दोनों की रक्षा कर्तव्य है। पर एक की ही पसंदगी करने का सबाल आवे तब हमारे जैसे देहरक्षा पसंद करेंगे और आध्यात्मिक संयम की उपेक्षा करेंगे, जब कि समाधिमरण का अधिकारी उल्टा करेगा। जीवन तो दोनों ही हैं—दैहिक और आध्यात्मिक। जो जिसका अधिकारी होता है, वह कसौटी के समय पर उसी को पसंद करता है। और ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन धाले व्यक्ति के लिए प्राणान्त अनशन की इजाजत है; पामरों, भयभीतों या लालचियों के लिए नहीं। अब आप देखेंगे कि प्राणान्त अनशन देह रूप धर का नाश करके भी दिव्य जीवन रूप अपनी आत्मा को गिरने से बचा लेता है। इसलिए वह खरे अर्थ में तात्त्विक दृष्टि से अहिंसक ही है। जो लेखक आत्मधात रूप में ऐसे संथारे का वर्णन करते हैं वे मर्म तक नहीं सोचते; परन्तु यदि किसी अति उच्च उद्देश्य से किसी पर रागदेव चिना किए संपूर्ण मैत्रीभावपूर्वक निर्भय और प्रसन्न हृदय से बापू जैसा प्राणान्त अनशन करें तो फिर वे ही लेखक उस मरण को सराहेंगे, कभी आत्मधात न कहेंगे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का उद्देश्य और जीवनक्रम उन लेखकों की आँखों के सामने नहीं, जब कि जैन परंपरा में संथारा करने वाले चाहे शुभाशयी ही व्यापों न हों, पर उनका उद्देश्य और जीवन क्रम इस तरह सुविदित नहीं। परन्तु शास्त्र का विधान तो उसी दृष्टि से है और उसका अहिंसा के साथ पूरा मेल भी है। इस अर्थ में एक उपमा है। यदि कोई व्यक्ति अपना सारा धर जलाता देखकर कोशिश से भी उसे जलने से बचा न सके तो वह क्या करेगा? आखिर मैं सबको जलाता छोड़कर अपने को बचा लेगा। यही स्थिति आध्यात्मिक जीवनेच्छु की रहती है। वह खामखाब है देह का नाश कभी न करेगा। शास्त्र में उसका निषेध है। प्रत्युत देहरक्षा कर्तव्य मानी गई है पर वह संयम के निमित्त। आखिरी लाचारी में ही निर्दिष्ट शर्तों के साथ देहनाश समाधिमरण है और अहिंसा भी। अन्यथा चालमरण और हिंसा।

भयङ्कर दुष्काल आदि तड़ी में देहरक्षा के निमित्त संयम से पतन होने का अवसर आवे या अनिवार्य रूपसे मरण लाने वाली विमारियों के कारण खुद को और दूसरों को निर्धक परेशानी होती हो और फिर भी संयम या सद्गुण की रक्षा सम्भव न हो तब मात्र संयम और समझाव की दृष्टि से संथारे का विधान है

जिसमें एक मात्र सूख्म आध्यात्मिक जीवन को ही बचाने का लक्ष्य है। जब वापूजी आदि प्राणान्त अनशन की चात करते हैं और मशरूवाला आदि समर्थन करते हैं तब उसके पीछे वही दण्डिविन्दु मुख्य है।

❀

❀

❀

यह पत्र तो कव्र का लिखा है। देरी भेजने में इसलिये हुई है कि राधाकृष्णन के लेखन की जाँच करनी थी। श्री दलसुखभाई ने इस विषय के खास ग्रन्थ 'मरण विभक्ति प्रकोर्णक' आदि देखे जिनमें उस ग्रन्थ का भी समावेश है जिसके आधार पर राधाकृष्णन ने लिखा है। वह ग्रन्थ है, आचारांग खून का अंग्रेजी भाषान्तर अध्ययन-सात। राधाकृष्णन ने लिखा है सो शब्दशः ठोक है। पर मूलसंदर्भ से छोटा सा ढुकड़ा अलग हो जाने के कारण तथा व्यवहार में आत्मवध अर्थ में प्रचलित 'स्वुसाईड' शब्द का प्रयोग होने के कारण पढ़ने वालों को मूल-मंत्रम् के बारे में भ्रम हो जाना स्वाभाविक है। बाकी उस विषय का सारा अध्ययन और परस्पर परामर्श कर लेने के बाद हमें मालूम होता है कि यह प्रकरण संलेखना और संथारे से संबन्ध रखता है। इसमें हिंसा की कोई धू तक नहीं है। यह तो उस व्यक्ति के लिए विधान है जो एकमात्र आध्यात्मिक जीवन का उम्मेदवार और तदर्थ की हुई सत्प्रतिज्ञाओं के पालन में रत हों। इस जीवन के अधिकारी भी अनेक प्रकार के होते रहे हैं। एक तो वह जिसने जिनकल्प स्वीकार किया हो जो आज विच्छिन्न है। जिनकल्पी मात्र अकेला रहता है और किसी तरह किसी की सेवा नहीं लेता। उसके बास्ते अन्तिम जीवन की घटियों में किसी की सेवा लेने का प्रसंग न आये, इसलिये अनिवार्य होता है कि वह सावध और शक्त अवस्था में ही ध्यान और तपस्या आदि द्वारा ऐसी तैयारी करे कि न मरण से डरना पड़े और न किसी की सेवा लेनी पड़े। वही सब जवाब-देहियों को अदा करने के बाद बारह वर्ष तक अकेला ध्यान तप करके अपने जीवन का उत्सर्ग करता है। पर यह कल्प मात्र जिनकल्पी के लिये ही है। बाकी के विधान जुदे-जुदे अधिकारियों के लिए हैं। सबका सार यह है कि यदि की हुई सत्प्रतिज्ञाओं के भङ्ग का अवसर आये और वह भङ्ग जो सहन कर नहीं सकता उसके लिए प्रतिज्ञाभंग की अपेक्षा प्रतिज्ञापालनपूर्वक मरण लेना ही श्रेय है। आप देखेंगे कि इसमें आध्यात्मिक वीरता है। स्थूल जीवन के लोभ से, आध्यात्मिक गुणों से न्युत होकर मृत्यु से भागने की कायरता नहीं है। और न तो स्थूल जीवन की निराशा से ऊबकर मृत्यु मुख में पढ़ने की आत्मवध कहलाने वाली वालिशता है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु से जितना ही निर्भय, उतना ही उसके लिए तैयार भी रहता है। वह जीवन-प्रिय होता है, जीवन-मोही नहीं। संलेखना

मरण को आभासित करने की विधि नहीं है पर अपने आप आने वाली मृत्यु के लिए निर्भय तैयारी मात्र है। उसी के बाद संथारे का भी अवसर आ सकता है। इस तरह वह सारा विचार अहिंसा और तन्मूलक सद्गुणों की तन्मयता में से ही आया है। जो आज भी अनेक रूप से शिष्टसंमत है। राधाकृष्णन ने जो लिखा है कि बौद्ध-धर्म 'स्युसाईड' को नहीं मानता सो ठीक नहीं है। खुद खुद के समय भिन्न छन्न और भिन्न बल्कली ने ऐसे ही असाध्य रोग के कारण आत्मवध किया था जिसे तथागत ने मान्य रखा। दोनों भिन्न अप्रमत्त थे। उनके आत्मवध में फर्क यह है कि वे उपवास आदि के द्वारा धीरेधीरे मृत्यु की तैयारी नहीं करते किन्तु एक वारगी शास्त्रवध से स्वनाश करते हैं जिसे 'हरीकरी' कहना चाहिए। यद्यपि ऐसे शास्त्रवध की संमति जैन ग्रन्थों में नहीं है पर उसके समान दूसरे प्रकार के वधों की संमति है। दोनों परम्पराओं में भूल भूमिका सम्पूर्ण रूप से एक ही है। और वह मात्र समाधिजीवन की रक्षा। 'स्युसाईड' शब्द कुछ निय सा है। शास्त्र का शब्द समाधिमरण और पंडित मरण है, जो उपयुक्त है। उक्त छन्न और बल्कली की कथा अनुक्रम से मञ्जुरमनिकाय और संयुक्तनिकाय में है। लंबा पत्र इसलिए भी उपयोगी होगा कि उस एकाकी जीवन में कुछ रोचक सामग्री मिल जाय। मैं आशा करता हूँ यदि संभव हो तो पहुँच दें।

### पुनरुत्थ—

नमूने के लिए कुछ प्राकृत पत्र और उनका अनुवाद देता हूँ—

'मरणपंडियारभूया एसा एवं च ए मरणणिता जह गंडच्छेअकिरिया णो आयविराहणारूपा ।'

समाधिमरण की किया मरण के निमित्त नहीं किन्तु उसके प्रतिकार के लिए है। जैसे फोड़े को नस्तर लगाना, आत्मविराधना के लिए नहीं होता।

'जीवियं नाभिकंखेज्जा मरणं नावि पत्थए ।'

उसे न तो जीवन की अभिलाषा है और न मरण के लिए वह प्रार्थना ही करता है।

'अप्पा खलु संथारो हवर्ह विसुद्धचरित्तमिम् ।'

चरित्र में स्थित विशुद्ध आत्मा ही संथारा है।

ता० ५-२-४३

